न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/204/2022	2022/316	18.07.2022	16.08.2022

1. सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

—प्रार्थी

बनाम

1. अज्ञात

—अप्रार्थी

भारतीय निखात (दफिना) अधिनियम, 1878 के अन्तर्गत ग्राम छिलाछो तहसील लक्ष्मणगढ़ में वन विभाग द्वारा वन भूमि पर पौधारोपण कार्य के दौरान मिली 03 जैन प्रतिमाओं के निस्तारण के क्रम में।

——:: निर्णय ::——

उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक विविध/2022/9116—9118 दिनांक 12.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 12.07.2022 को प्रातकालीन ग्राम छिलाछो तहसील लक्ष्मणगढ़ में वन विभाग की टीम द्वारा पौधारोपण कार्य के दौरान वन विभाग की भूमि में काफी प्राचीन मूर्ति मिली है। जिस पर प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, कलैक्ट्रेट, अलवर के पत्रांक 2457 दिनांक 13.07.2022 के माध्यम से संग्रहाध्यक्ष, राजकीय संग्रहालय, अलवर से रिपोर्ट चाही गयी। संग्रहाध्यक्ष, राजकीय संग्रहालय, अलवर के पत्रांक 373 दिनांक 15.07.2022 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया है कि ग्राम छिलाछो तहसील लक्ष्मणगढ़ में वन विभाग की टीम द्वारा पौध रोपण कार्य के दौरान वन विभाग की भूमि में काफी प्राचीन तीन जैन प्रतिमाएं मिली है। जिनमें दो स्थानक बाहुबली की देव प्रतिमा व एक अंबिका देवी प्रतिमा है जो वर्तमान में पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ में रखी हुई है। अतः उक्त तीनों प्रतिमाएं पुरामहत्व की होने के कारण संग्रहाध्यक्ष, राजकीय संग्रहालय, अलवर को इन सभी मूर्तियों/प्रतिमाओं को दिया जाकर उक्त निधि (सम्पदा) का निस्तारण किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर इश्तिहार उज्रदारी जारी किया गया। संबंधित कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाकर तामीली रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं कानून की मंशा देखी गई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि इश्तिहार उज्रदारी की अवधि समाप्त होने पर भी किसी ने कोई उज्रदारी प्रस्तुत नहीं की गई है। वन विभाग की भूमि में मिली निधि (सम्पदा) का राजहक निहित होना स्पष्ट होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर भारतीय निखात (दफिना) अधिनियम, 1878 के प्रावधान के अन्तर्गत प्रकरण में ग्राम छिलाछो तहसील लक्ष्मणगढ़ में वन विभाग द्वारा वन भूमि पर पौधारोपण कार्य के दौरान मिली 03 जैन प्रतिमाओं के संबंध में कोई उज्रदारी पेश नहीं होने के कारण राजसात किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ एवं थानाधिकारी लक्ष्मणगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि आप दोनों व्यक्तिशः उपस्थित होकर उक्त तीनों प्रतिमाएं जिनमें दो स्थानक बाहुबली की देव प्रतिमा व एक अंबिका देवी प्रतिमा है, को संग्रहाध्यक्ष, राजकीय संग्रहालय, अलवर को नियमानुसार सुपुर्द की जावें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, थानाधिकारी लक्ष्मणगढ़ एवं संग्रहाध्यक्ष, राजकीय संग्रहालय, अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर